राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2336/2016

अशोक कुमार गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सह अतिरिक्त सचिव, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.08.2016
आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को ग्रेड पे स्टेपिंग अप का लाभ देने की अनुमति दिलायी जावे तथा अपीलार्थी का वेतन उससे कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर निर्धारित किया जावे, जो अपीलार्थी की तुलना में उच्च ग्रेड पे प्राप्त कर रहे है, साथ ही संशोधित वेतन निर्धारण एवं सभी परिणामी लाभ ब्याज सहित दिलाये जावे।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 28.05.1990 को हुई थी तथा अपीलार्थी ने दिनांक 16.06.1990 को जेईएन के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 26.03.2008 को एक वरिष्ठता सूची भी जारी की गई थी और उसके बाद नियमों के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 17.06.2008 द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी की पदोन्नति के पश्चात उसे 5400/– ग्रेड पे में स्थायीकरण किया गया, परंतु अपीलार्थी को 3 प्रतिशत वेतन का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि महेंद्र सिंह सिनसिनवार तथा महेश चंद्र शर्मा नाम के व्यक्तियों को दिनांक 17.06.2008 के आदेश के अनुसार उसी सूची में पदोन्नत किया गया था, परंतु वे जेईएन संवर्ग में अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, अतः उनके नाम अपीलार्थी से नीचे रखे गए तथा एईएन के कैडर में पदोन्नति के बाद दिनांक 01.04.2016 को एक वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 591 पर था और कनिष्ठ व्यक्तियों का नाम क्रम संख्या 629 और 752 पर था अपीलार्थी

की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.06.1990 है तथा महेन्द्र सिंह सिनसिनवार की नियुक्ति दिनांक 21.06.1990 है, जो कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। अपीलार्थी ने दिनांक 16.06.2008 को 18 वर्ष की सेवा पूरी की और वह दिनांक 16.06.2008 को जेईएन कैडर में कार्यरत था। इस प्रकार अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया और उसे अपीलार्थी को 5400/– ग्रेड पे पर स्थायी किया गया जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को 6000/– ग्रेड पे पर स्थायी किया गया। अपीलार्थी जेईएन के पद के साथ–साथ एईएन के कैडर में बहुत वरिष्ठ है और अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ कार्मिकों से पहले पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी ने संबंधित अधिकारियों को दिनांक 05.05.2016 को सभी तथ्यों को बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने इसका कोई निस्तारण नहीं किया। अपीलार्थी तथा उससे कनिष्ठ कार्मिकों को जुलाई, 2016 के महीने के वेतन में 1750/– रूपये का अंतर है, जो अपीलार्थी के वेतन निर्धारण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को 30150/– रूपये वेतन मिल रहा तथा कनिष्ठ कार्मिकों को 31780/– रूपये वेतन मिल रहा है। राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां एक सवंर्ग का सवंर्ग नियंत्रण प्राधिकारी एक ही है तथा वरिष्ठ कर्मचारी अपने कनिष्ठ कर्मचारी से कम ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है तो ऐसे वरिष्ठ कर्मचारी को समान ग्रेड पे दिया जाएगा। वर्तमान मामले में अपीलार्थी की तुलना में कई कनिष्ठ कर्मचारियों को ग्रेड पे स्टेपिंग अप का लाभ दिया गया जबकि अपीलार्थी को नहीं दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को ग्रेड पे स्टेपिंग अप के लाभ देने की अनुमति दिलायी जावे तथा अपीलार्थी का वेतन उन कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर निर्धारित किया जावे, जो अपीलार्थी की तुलना में उच्च ग्रेड पे प्राप्त कर रहे है, साथ ही संशोधित वेतन निर्धारण एवं सभी परिणामी लाभों के साथ ब्याज सहित दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.01.1992 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षण वेतन) नियम 2008 के नियम 19 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 16.09.1999 से स्वीकृत किया गया एवं 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 16.09.2008 को पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी स्वीकृत की गयी इसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को 4800/– रूपये ग्रेड पे एवं 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति होने पर ग्रेड पे 5400/– के स्थान पर 6000/– रूपये (श्री महेन्द्र सिंह सिनसिनवार एवं महेशचंद शर्मा से वेतन उन्नयन चाहा गया है) दिये जाने का

अनुरोध किया गया। वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ 14 (88) एफ.डी. (रूल्स) 2008–ा दिनांक 31.12.2009 के बिंदू संख्या 16 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी की सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति के पश्चात होने पर 6000/– रूपये की ग्रेड पे 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी। श्री महेन्द्र सिंह सिनसिनवार एवं महेशचंद शर्मा की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत होने के पश्चात् होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2009 के प्रावधानानुसार 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे 6000/– रूपये स्वीकृत की गई। अपीलार्थी का प्रकरण वेतन उन्नयन का ना होकर ग्रेड पे उन्नयन का है। वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ14 (88) एफ.डी. (रूल्स) 2008–ा दिनांक 31.12.2009 के बिंदू संख्या 12 के प्रावधानानुसार एसीपी से उत्पन्न हुई विसंगतियों का लाभ देय नहीं होगा। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 20.06.2008 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति होने पर वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ 14 (88) एफ.डी. (रूल्स) 2008–ा दिनांक 31.12.2009 के बिंदू संख्या 3 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी की द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति पश्चात् पदोन्नति होने पर ग्रेड पे का अन्तर देय होगा। अतः इसी आधार पर 5400/– ग्रेड पे स्वीकृत की गयी एवं वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ 14 (88) एफ.डी. (रूल्स) 2008–ा दिनांक 31.12.2009 के बिंदू संख्या 16 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी की सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति के पश्चात होने पर 6000/– रूपये की ग्रेड पे 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय की है। श्री महेन्द्र सिंह सिनसिनवार एवं महेश चंद शर्मा की पदोन्नति सहायक अभियंता के पद पर प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत होने के पश्चात होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2009 के प्रावधानानुसार 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेड पे 6000/– रूपये स्वीकृत की गई, जबकि अपीलार्थी की सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति 18 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने के पश्चात हुई इस कारण अपीलार्थी को नियमानुसार ग्रेड पे 5400/– स्वीकृत की गयी। अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ कर्मचारियों से कम वेतन प्राप्त कर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अपीलार्थी के कनिष्ठ अभियंता के पद पर रहते हुए प्रथम और द्वितीय चयनित वेतनमान 9 और 18 वर्ष की सेवा पर स्वीकृत किए गए

जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक महेन्द्र सिंह सिनसिनवार और महेश चंद शर्मा को द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृति से पहले सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया। पदोन्नति होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की सेवाओं पर ग्रेड पे 6000 में वेतन नियतन किया गया जिस कारण इन कनिष्ठ कर्मचारियों का वेतन अपीलार्थी से ज्यादा हो गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हम प्रकरण को प्रत्यर्थी विभाग को पुनः परीक्षण हेतु रिमांड किया जाना उचित समझते है। **The Rajasthan civil services (Service Matters Appellate Tribunals) ACT, 1976** की धारा 4(2) के तहत प्रकरण प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिप्रषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण का समुचित परीक्षण किया जाकर एवं अपीलार्थी को सुना जाकर तीन माह की अवधि में आख्यात्मक आदेश पारित कर निस्तारित किया जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)